

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक प.3(117)सूप्री/लेखा/08/1/...../2015  
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), 32148  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,  
जिला कार्यालय समस्त।

जयपुर दिनांक : 19-05-15

विषय : जिला मुख्यालयों को हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वाहन किराया के लिये बजट आवंटन बाबत।  
जिला मुख्यालयों पर ई गवर्नेन्स परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु As & when required basis पर एक वाहन किराये पर लिए जाने हेतु जिला कार्यालयों को वाहन किराया उपमदों में वर्ष 2015-16 हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला मुख्यालय	3454-02- 203-(01)-[02]-36 वाहन किराया (आयोजना)	3454-02- 789-(01)-[03]-36 वाहन किराया (आयोजना)	3454-02- 796-(02)-[03]-36 वाहन किराया (आयोजना)
1	अजमेर	1.08		
2	अलवर	1.08		
3	भरतपुर	1.08		
4	बूंदी	1.08		
5	चित्तौड़गढ़	1.08		
6	चुरू	1.08		
7	दौसा	1.08		
8	धौलपुर	1.08		
9	श्रीगंगानगर	1.08		
10	हनुमानगढ़	1.08		
11	जयपुर	1.08		
12	जैसलमेर	1.08		
13	जालौर	1.08		
14	झुंझुनू	1.08		
15	जोधपुर	1.08		
16	करौली	1.08		
17	कोटा	1.08		
18	पाली	1.08		
19	राजसमंद	1.08		
20	सवाईमाधोपुर	1.08		
21	सीकर	1.08		
22	बांरा		1.08	
23	बाड़मेर		1.08	
24	भीलवाड़ा		1.08	
25	बीकानेर		1.08	
26	झालावाड़		1.08	
27	नागौर		1.08	
28	टोंक		1.08	
29	बांसवाड़ा			1.08
30	झूंगरपुर			1.08
31	प्रतापगढ़			1.08
32	सिरोही			1.08
33	उदयपुर			1.08
	योग	22.68	7.56	5.40

उक्त व्यय निम्नानुसार किया जायेगा:-

1. व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. जिन जिलो में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर या प्रोग्रामर या दोनो कार्यरत है उन जिलो में ही एक वाहन विभाग की आवश्यकता के आधार पर किराये पर लिया जा सकेगा।
3. वाहन वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) के परीपत्र क्रमांक- प.9(1)वित्त-1(1)/आ.व्य./2012 दिनांक 05.09.2012 एवं 01.07.2013 के अनुसार वाहन का कुल उपयोग माह में अधिकतम 750 किलोमीटर तक किया जा सकेगा तथा व्यय की अधिकतम सीमा 9000/- प्रतिमाह रहेगी।
4. व्यय का समस्त रिकार्ड जिला स्तर पर संघारित किया जायेगा।
5. अंकेक्षण व सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा मांगे जाने पर समस्त रिकार्ड उपलब्ध कराया जायेगा।
6. मासिक व्यय की सूचना हर माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. उपरोक्त बजट मदो में होने वाले व्यय का महालेखाकार कार्यालय से मासिक अंकमिलान कर विभाग को सुचित करे।
8. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं किया जाये।

Sd/-  
(डा.दयासिन्धु शर्मा )  
लेखाधिकारी

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर
3. कोषाधिकारी ~~क्यासी~~ समस्त
4. सुश्री सोनिया चतुर्वेदी प्रभारी अधिकारी जिला समन्वय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
5. श्रीमती दीपशिखा सक्सेना एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत

  
लेखाधिकारी